प्रबन्ध समिति की आपात कालीक कैठक

दिनांक 18.03.2017 को प्रबन्ध समिति की आपात कालीन बैठक अपरान्ह 2:00 बजे आहूत की गई जिसमें दिनांक 16.03.2017 को छात्र संघ अध्यक्ष और अन्य छात्र प्रतिनिधियो के द्वारा महाविधालय प्रशासन को दिए गए मांग पत्र जिसमें मुख्य रूप से शाहीद भगत सिंह के मूर्ति स्थापना के मांग पर विचार किया गयां। बैठक में सर्वसम्मति से महाविधालय नियमावली का उल्लेख किया गया जिसमें यह तथ्य उल्लिखित है कि महाविधालय की सम्पूर्ण जमीन और सम्पत्ति LDTA (लखनउ डायसिसियन ट्रस्ट एसोसिएसन) के अधीन है तथा उसी के नियंत्रण में है। इसलिए महाविधालय की प्रबन्ध समिति के अधिकार क्षेत्र में यह नही है कि महाविधालय की जमीन पर कोई भी स्थाई या अस्थाई निर्माण के लिए स्वीकृति दे सके।

एक अन्य तथ्य जो उल्लेखनीय है कि महाविधालय एक अल्पसंख्यक संस्थान है जिसके अपने नियम है जिसका उल्लेख यूईंग किश्चियन कालेज सोसाइटी इलाहाबाद के संविधान के पृष्ठ संख्या 2 खण्ड G में किया गया है जिसे यथावत उद्धघृत किया जा रहा है।

To hold, acquire, manage and alienate if necessary, moveable and immovable properties of every kind owned or acquired by the Society in order to achieve its purpose and objects, and to apply the income from such properties towards all or any of the objects herein specified with prior permission of the property committee of the Diocesan Council of the Diocese of Lucknow of the Church of North India or their legal successors. (संलग्नक 1)

इसी संविधन के पृष्ठ संख्या 10–11 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियों और अधिकार के अनुच्छेद D (7) का उल्लेख करना आवश्यक है

Hold, acquire, alienate if necessary and manage moveable and immovable properties belonging to the Society or vested in it, with prior permission of the Lucknow Diocesan Trust Association. (संलग्नक 2)

इसी सन्दर्भ में एक अन्य तथ्य यह है कि पूर्व में भी इस प्रकार की मांग उठी है। प्रकरण में 2012 में छात्र परिषद के अध्यक्ष श्री नित्यानन्द राय और अन्य पदाधिकारियों के निर्णय के अंश भी उद्वघृत किए जा रहे हैं।

" महाविधालय परिसर में किसी भी महापुरूष अथवा व्यक्ति की मूर्ति स्थापना ना की जाए।" (संलग्नक 3 छायांकित अंश)

18/03/17

छात्र परिषद की समस्याओं के निराकरण हेतु गठित दों सदसीय अध्यापको तथा छात्र प्रतिनिधियों की बैठक दिनांक 03.03.2012 के निर्णयानुसार

"छात्रों की ओर से सुझाव रखा गया कि महाविधालय परिसर में किसी की भी प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव पारित न किया जाय, क्योकि देश के नेताओं एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सच्ची श्रद्धान्जलि उनकी प्रतिमा लगा कर नहीं बल्कि महाविधालय में उनकी पुण्य तिथि पर संगोष्ठी एवं सभांए कर छात्रों को जागरूक करना अधिक लाभकर होगा।

महाविधालय प्रशासन से अनुरोध है कि पुण्य तिथियों पर अवकाश न घोषित कर महाविधालय स्तर पर सभाओं का आयोजन किया जाना ही उचित है। "(संलग्नक 4)

इस सन्दर्भ में यह बताना भी समयोचित है कि एक अल्पसंख्यक संस्था के रूप में महाविधालय को संविधान प्रदत्त अधिकार दिये गये हैं जिससे वह अपनी मान्यताओं के अनुरूप संस्था चला सके।

पवित्र बाइबिल के निर्गमन 20 (4) में " तू अपने लिये कोई मूर्ति खोदकर न बनाना न किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में, या पृथ्वी क`जल में है। " (पवित्र बाइबिल में दी गयी 10 आज्ञाओं में से 4 आज्ञा)

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रबन्ध समिति के निर्णय निम्नवत् है:

1 प्राचार्य को व्यक्तिगत स्तर पर निर्णय लेने का कोई अधिकार प्राप्त नही है।
2 बैठक की इस कार्यवाही एवं निर्णय को अध्यक्ष LDTA को अग्रसारित किया जाए।
3 पवित्र बाइबिल के आदेश 4 के अनुकरण में महाविधालय में किसी महापुरूष या महाविधालय के संस्थापक या अन्य किसी महत्व पूर्ण व्यक्ति की मूर्ति स्थापित नही की गई है। क्योकि यह कालेज के मूल स्थापना के आस्था के प्रतिकूल है।
4 प्रबन्ध समिति के सभी सदस्य इस बातसे सहमत है कि हम समस्त भारतीय शहीदों तथा महापुरूषों के प्रति समय–समय पर श्रद्धान्जलि व सम्मान व्यक्त किया जाए परन्तु यह सम्मान संगांष्ठियों सभाओंआदि के आयोजन के माध्यम से किया जाए।
5 यह आशा एवं विश्वास है कि छात्र संघ के पदाधिकारी एवं अन्य छात्र प्रबन्ध समिति के निर्णय का सम्मान करेगें तथा कालेज परिसर में पठन पाठन, परीक्षाओं एवं प्रशासनिक कार्यो में सहयोग प्रदान करते हुए कालेज की विश्वनीयता को शिखर पर पहुंचायेगे।

प्रबन्ध समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर :

1. +Baldw. [signature] – Chairman
2. Rajesh Joseph – Vice-chairman
3. M. Massey – Principal
4. [signature] 15/03/17 – Vice-Principal
5. – Bursar
6. [signature] – Staff Rep-
7. [signature] – Staff Rep-
8. [signature] – " "
9. [signature]